समाहरणालय, कटिहार

आपदा प्रबंधन प्रशाखा

कँवल तनुज, भा०प्र०से०,
जिला पदाधिकारी, कटिहार
:- 06452-230581(O) 06452-230583(R)
:- +91-9473191375 फैक्स :- 06452230880
E-mail :- d m-katihar.bih@nic.in

–:: आदेश ::–

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना का पत्रांक–1860/आ०प्र० दिनांक–13.05.2020 के आलोक में **CFMS Order No. 1353/आ०प्र० दिनांक–12.05.2020** के द्वारा वर्त्तमान **वित्तीय वर्ष** 2020–21 में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय **मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–**02–बाढ़ चक्रवात, **लघुशीर्ष–118–उपकरण की मरम्मति/प्रतिस्थापन के लिए सहायता** (क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मति/नये नावों का निर्माण), **उपशीर्ष–0001–NA, विपत्र कोड 39–2245021180001 विषय शीर्ष 21–01–**सामग्री और आपूर्ति, मांग संख्या 39 के अन्तर्गत **Allotment ID—219855** के माध्यम से मो० **1,00,000.00 (एक लाख)** रूपये मात्र आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त प्राप्त आवंटन में से **निम्नांकित अंचलाधिकारी, कटिहार जिला को उनके नाम के सामने अंकित राशि** उपावंटित करते हुए निकासी करने की स्वीकृति दी जाती है।

निदेश दिया जाता है कि इस **उपावंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक–2430/आ०प्र०** दिनांक–01.08.2019 **के आलोक में** वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2020 की संभावित बाढ़ तैयारी के निमित्त **गत वर्ष 2019 में आयी बाढ़ के परिणामस्वरूप संघर्षात्मक कार्य में प्रयुक्त क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मति में हुए व्यय के भुगतान/समायोजन हेतु निर्गत किया जा रहा है।** उपावंटित राशि का व्यय उसी मद मे किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

उपावंटित की गई राशि की निकासी **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग/जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार को अचुक रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

यह भी निदेशित किया जाता है कि कोषागार से राशि की निकासी कर बैक खाते में नही रखेगें तथा व्यय नही होने की स्थिति में **दिनांक** 15.03.2021 तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन भेजना भी सुनिश्चित करेंगे। यह आवंटन आदेश **वित्त विभाग के ज्ञापांक–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998** के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदा०/अंचलाधिकारी का नाम	विभाग से जिला को प्राप्त आवंटन	2245–02–118–0001–NA, उपकरण की मरम्मति/प्रतिस्थापन के लिए सहायता (क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मति/नये नावों का निर्माण) ईकाई मद में उपावंटित राशि			अभ्युक्ति (अवशेष राशि)
			पूर्व	वर्त्तमान	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7
1	अंचलाधिकारी, कटिहार	1,00,000/-	-	2,000.00	2,000.00	0.00
2	अंचलाधिकारी, हसनगंज		-	1,600.00	1,600.00	
3	अंचलाधिकारी, डंडखोरा		-	1,600.00	1,600.00	
4	अंचलाधिकारी, कोढ़ा		-	2,000.00	2,000.00	
5	अंचलाधिकारी, फलका		-	3,600.00	3,600.00	
6	अंचलाधिकारी, समेली		-	1,600.00	1,600.00	
7	अंचलाधिकारी, बरारी		-	7,500.00	7,500.00	
8	अंचलाधिकारी, कुर्सेला		-	2,400.00	2,400.00	
9	अंचलाधिकारी, प्राणपुर		-	11,800.00	11,800.00	

10.	अंचलाधिकारी, मनसाही	1,00,000/-	-	2,800.00	2,800.00	0.00
11.	अंचलाधिकारी, मनिहारी		-	10,200.00	10,200.00	
12.	अंचलाधिकारी, अमदाबाद		-	15,400.00	15,400.00	
13.	अंचलाधिकारी, आजमनगर		-	7,100.00	7,100.00	
14.	अंचलाधिकारी, कदवा		-	24,000.00	24,000.00	
15.	अंचलाधिकारी, बलरामपुर		-	4,000.00	4,000.00	
16.	अंचलाधिकारी, बारसोई		-	2,400.00	2,400.00	
		कुल योग	-	**1,00,000.00**	**1,00,000.00**	**0.00**

मो० (एक लाख) रूपये मात्र।

ह०

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक 468 **/आ०प्र० II – 01/2020, दिनांक** 18/06/2020

प्रतिलिपि :– सभी अंचलाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, कटिहार एवं बारसोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाहरणालय, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– मेकर/चेकर, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।